

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 104/115/वित्त/नियम/चार/2007,

रायपुर, दिनांक 01.05.2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय: -महंगाई वेतन को पेंशन की गणना के प्रयोजन हेतु शामिल करने बाबत ।

संदर्भ:- (1) 20/सी-903/वि/नि/चार/05, दिनांक 19.01.2007

(2) 47/50/वि/नि/चार/07, दिनांक 12.02.2007


संदर्भित ज्ञापनों के द्वारा दिनांक 01.04.2007 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता को राज्य शासन के कर्मचारियों के वेतन के साथ महंगाई वेतन के रूप में विलय के निर्देश जारी किये गये हैं । उक्त महंगाई वेतन की राशि महंगाई भत्ता तथा मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान के अतिरिक्त किसी अन्य भत्ते अथवा हितलाभ की गणना हेतु शामिल नहीं होती है ।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त महंगाई वेतन को पेंशन/परिवार पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए मूल वेतन समझा जाए । जिसके फलस्वरूप 01.04.2007 अथवा उसे पश्चात सेवानिवृत्त/मृत शासकीय सेवकों के मूल पेंशन/परिवार पेंशन की गणना 50 प्रतिशत महंगाई वेतन को शामिल करते हुए किया जाएगा ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि 01.04.2007 से दिनांक 31.01.2008 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन निर्धारण में कोई हानि न हो, उनके मामलों में विशेष व्यवस्था के रूप में दिनांक 01.04.2007 के पूर्व की अवधि हेतु उनके द्वारा आहरित मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ता, पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए मूल वेतन समझा जाएगा । परिणामस्वरूप, महंगाई पेंशन का भाग केवल 31.03.2007 तक

सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों के लिए ही लागू होगा । उपरोक्त आधार पर पेंशन की गणना न्यूनतम पेंशन रूपये 1913/- प्रतिमाह के अधीन की जावेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की वेबसाइट (www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग